हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मार्च, 2008

संख्या वैब 1/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2007. — नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 27 में, उप–नियम (1) में, —

(i) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(iv) किसी वर्ष में पुंजीभूत रूप से या व्यक्तिगत रूप से पच्चीस लाख रूपये से अधिक अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या राज्य के बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में किये गये चिक्रयों का दावा ;";

(ii) खण्ड (xi) में, अन्त में विद्यमान "तथा" शब्द का लोप कर दिया जाएगा ;

(iii) खण्ड (xii) में, अन्त में विद्यमान " ।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(iv) अन्त में निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(xiii) पंजीकरण प्रमाण पत्रों के रद्द करण के मामले ।" ।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग ।